



गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय

बाँसवाड़ा-327001

02962-244022 registrar@ggtu.ac.in

क्रमांक :- एफ 1 (1) गोगुजवि/2025/11८०

दिनांक : 13 जनवरी, 2025


कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना एफ 1-18/2017 (CPP-II) दिनांक 03 जनवरी, 2025 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

यूजीसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकार या पात्रता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र बनने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान को अनिवार्य रूप से योग्यता मानदंड प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथ ही उच्च शिक्षा संस्थान को बैचमार्क पैरामीटर प्राप्त करने के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। विश्वविद्यालय को NAAC मान्यता प्रदान कराने हेतु निर्धारित मापदंडों के फलस्वरूप “यौन उत्पीड़न से संबंधित आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee (ICC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

1. प्रो० अलका रस्तोगी, निदेशक शोध, गो.गु.ज.वि. बाँसवाड़ा।
2. प्रो० लक्ष्मणलाल परमार, उप कुलसचिव एवं गुरुकुल प्रभारी।
3. डॉ० नरेन्द्र पानेरी, प्रभारी अधिकारी, सम्बद्धता, गो.गु.ज.वि. बाँसवाड़ा।
4. डॉ० राकेश डामोर, प्रभारी अधिकारी, अकादमिक, गो.गु.ज.वि. बाँसवाड़ा।

सम्बन्धित समिति यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण करते हुए एक रजिस्टर में इसका संधारण सुनिश्चित करें।


(राजेश जोशी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति।
3. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव